न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
71/2017/प्रा.पत्र/2017	27.09.2017	08.07.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.......आवेदक

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री अवधेश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामदेव विजय जाति महाजन निवासी ताज कालोनी सवाई माधोपुर चोराहा टोंक जिला टोंक मैसर्स अवधेश किराणा एंव जनरल स्टोर मोतीबाग रोड टोंक जिला–टोंक राज0

2–मैसर्स अवधेश किराणा एंव जनरल स्टोर मोतीबाग रोड टोंक जिला–टोंक राज0

3–मुन्नालाल जैन निवासी छोटा तख्ता टोंक राज0 प्रोपराटर मैसर्स गोयल किराणा एण्ड जनरल स्टोर नजर बाग रोड टोंक

4–मैसर्स गोयल किराणा एण्ड जनरल स्टोर नजर बाग रोड टोंक

5–श्री अरविन्द कुमार आटोलिया निवासी सी–65 बापूनगर जयपुर राज0 पार्टनर मैसर्स घांसी लाल एण्ड संन्स, 5–जी एच, सूरजलपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0/बी–10 चान्दपोल अनाज मण्डी जयपुर।

6–श्री आलोक कुमार आटोलिया निवासी सी–65 बापूनगर जयपुर राज0 पार्टनर मैसर्स घांसी लाल एण्ड संन्स, 5–जी एच, सूरजलपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0/बी–10 चान्दपोल अनाज मण्डी जयपुर।

7–श्री हर्ष गुप्ता निवासी सी–65 शिवाड एरिया बापू नगर जयपुर राज0 पार्टनर मैसर्स घांसी लाल एण्ड संन्स, 5–जी एच, सूरजलपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0/बी–10 चान्दपोल अनाज मण्डी जयपुर।

8–श्री कैलाश चन्द आटोलिया निवासी सी–65 शिवाड एरिया बापू नगर जयपुर राज0 पार्टनर मैसर्स घांसी लाल एण्ड संन्स, 5–जी एच, सूरजलपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0/बी–10 चान्दपोल अनाज मण्डी जयपुर।

9–मैसर्स घांसी लाल एण्ड संन्स, 5–जी एच, सूरजलपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0/बी–10 चान्दपोल अनाज मण्डी जयपुर।

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार

2–अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से श्री विक्रम जैन तथा अप्रार्थी सं. 5 ता 9 के प्रतिनिधि उपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

1780

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

:–निर्णय–: दिनांक 08.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.03.2017 को समय 1:15 पी.एम. पर मैसर्स अवधेश किराणा एंव जनरल स्टोर मोतीबाग रोड टोंक जिला पर पहुंचा। वहॉ श्री अवधेश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामदेव विजय जाति महाजन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अवधेश जैन ने स्वयं को मैसर्स अवधेश किराणा एंव जनरल स्टोर जिला टोंक का एक मात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कनफैक्शनरी घी, तेल, मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक में 20 मूल पैक हल्दी पउडर 756 ब्रान्ड के पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 200–200 ग्राम पैक के **हल्दी पाउडर (756 ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने व मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री अवधेश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामदेव विजय को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री अवधेश विजयवर्गीय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **हल्दी पाउडर (756 ब्राण्ड)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे है, 200–200 ग्राम के 12 मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **हल्दी पाउडर (756 ब्राण्ड)** 200–200 ग्राम के 12 मूल पैक को ज्यों का त्यों दो–दो नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1584 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1584 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्यें‍क भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री अवधेश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामदेव विजय जाति महाजन निवासी ताज कालोनी सवाई माधोपुर चोराहा टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गोयल किराणा एण्ड जनरल स्टोर नजर बाग रोड टोंक का बिल संख्या/इन्वाइस नं0 1381 दिनांक 11–01–2017 प्रस्तुत कर उपरोक्त **हल्दी पाउडर (756 ब्राण्ड)** उक्त फर्म से क्रय करना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने मैसर्स गोयल किराणा एण्ड जनरल स्टोर नजर बाग रोड टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज के साथ बतौर वारन्टी मैसर्स घांसी लाल एण्ड संन्स, 5–जी एच, सूरजलपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0 / बी–10 चान्दपोल अनाज मण्डी जयपुर। का खरीद बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स घांसी लाल एण्ड संन्स, 5–जी एच, सूरजलपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0 / बी–10 चान्दपोल अनाज मण्डी जयपुर, को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा लाईसेंस, वेट रजि0 फार्म नं0 3 प्रस्तुत किया एंव बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल पेश नहीं किया। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (756 ब्राण्ड)** के निर्माता व पेकिंगकर्ता की समस्त जिम्मेदारी मैसर्स घांसी लाल एण्ड संन्स, 5–जी एच, सूरजलपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0 / बी–10 चान्दपोल अनाज मण्डी जयपुर,पर माना जाना उचित है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 17 / 1978 दिनांक 18.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 216 / एक्ट / 2017 / 216 दिनांक 12.08.2017 के अनुसार विक्रेता श्री अवधेश कुमार जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **हल्दी पाउडर (756 ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **हल्दी पाउडर (756 ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1,2 दिनांक 24–1–2020 को स्वय उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं0 5 ता 9 की ओर से फर्म के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर बहस की एंव जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **हल्दी पाउडर (756 ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हल्दी पउडर (756 ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000 / – (अक्षरे तीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 30,000 / – (अक्षरे तीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 5 ता 9 पर कुल शास्ति रूपये 100000 / – (अक्षरे एक लाख रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0